

68

D-61

एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
जप्ती पत्रक
(लॉकर से प्राप्त नगदी नोटों की)

थाना - एसीबी/इओडब्ल्यू रायपुर

9

अपराध क्रमांक - 0/2015

- 120-बी, 109 भा.द.वि. एवं 13 (1) डी 13 (2)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

नाम संदेही

- श्री कौशल किशोर यदु पिता स्व. श्री मदनलाल यादव उम्र 52 वर्ष, जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर।

नाम जिससे जप्त किया गया

- सत्यजीत यादव पिता श्री चुन्नीलाल यादव उम्र 39 व्यवसाय कृषि निवासी आर.ई.एस. कॉलोनी के पास ग्राम चरामा जिला कांकर।

स्थान

- देना बैंक शाखा चरामा जिला कांकर।

दिनांक व समय

- 19.02.2015 के 14.10 बजे

नाम पंचसाक्षी जिसके समक्ष जप्ती की गई

- (1) एस.के. बर्मन पिता श्री सी.पी. बर्मन उम्र 42 वर्ष अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग बिलासपुर।
(2) एम. आर. निकोसे पिता स्व. श्री राजाराम जी निकोसे उम्र 57 वर्ष कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बिलासपुर।

नाम जप्तीकर्ता अधिकारी

- एस.पी.करोसिया डीएसपी एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर।

विवरण

दिनांक 12.02.2015 को पु.अ. एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर के पत्र क्र. /ब्यूरो/1120/2015 रायपुर के आदेश धारा 165 (3) की तामीली में संदेही के.के. यदु डी.एम. नान बिलासपुर के निवास स्थान, पंजाबी कालोनी शांति निकेतन स्कूल के पास दयाल बंद बिलासपुर के मकान की तलाशी के दौरान लाकर जैसी दो चाबियां पाई गई थी दो चाबियों में से एक संदेही की

[Signature]
19/02/15

[Signature] 19/2/15
निरीक्षक (एस.ई. देवधारी)
इ.ओ. डब्ल्यू. ए.सी.
रायपुर (पंजाबी)

[Signature]
19/2/15

माता श्यामा बाई यादव के नाम का लाकर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया मेन ब्रांच मनोहर टाकीज के पास बिलासपुर का होना एवं दूसरी चाबी कौशल किशोर यदु ने दिनांक 18.02.2015 को अपने साले सत्यजीत यादव निवासी चरामा के नाम के लाकर देना बैंक शाखा चरामा का होना बताया है, चूंकि चाबी कौशल किशोर यदु के कब्जे में इनके निवास से प्राप्त हुआ है इसलिये पूर्णतः संदेह होता है कि कौशल किशोर यदु की बेनामी संपत्ति सत्यजीत यादव (साले) निवासी चरामा के लॉकर में रखवाई गई है एवं लॉकर की चाबी स्वयं सुरक्षित अपने कब्जे में रखा गया है इसलिये संदेही कौशल किशोर यदु के साले सत्यजीत यादव के देना बैंक शाखा चरामा जिला कांकर में स्थित लॉकर क्रमांक 46 की संदेही कौशल किशोर यदु एवं पंचसाक्षियों के समक्ष तलाशी के पश्चात् लॉकर से पाये गये नगदी नोट कुल 12,00,000 / रुपये बरामद हुए हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

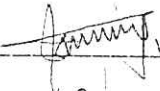
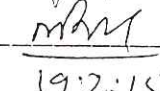
1.	1000 / रुपये के नोट का 7 बंडल 7X100X1000	7,00,000.00 रुपये
2.	500 / रुपये के नोट का 8 बंडल 8X100X500	4,00,000.00 रुपये
	कुल	11,00,000.00 रुपये

उक्त कुल 11,00,000.00 / रुपये को पंचानों के समक्ष विधिवत जप्त कर एक स्टील की पेटी में सोने के वस्तुओं के साथ ताला लगाकर सीलबंद किया गया।

नोट:- उपरोक्त प्राप्त 15 बंडल के नोटों में कुल तीन बंडल सीलबंद प्राप्त हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. एक हजार रुपये का नोट का सीलबंद बंडल जो दिनांक 18.10.2014 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बिलासपुर का परची लगा हुआ प्राप्त हुआ।
2. पांच सौ रुपये का नोट का सीलबंद बंडल जो दिनांक 16.09.2014 स्टेट बैंक आफ इंडिया मुंगेली शाखा का परची लगा हुआ प्राप्त हुआ।
3. पांच सौ रुपये का नोट का सीलबंद बंडल जो दिनांक 02.07.2014 स्टेट बैंक आफ इंडिया मुख्य शाखा बिलासपुर का परची लगा हुआ प्राप्त हुआ।

पंचसाक्षी के हस्ताक्षर

(1)  19/2/15
(2)  19/2/15

हस्ताक्षर
जिससे जप्त किया गया

1. एक परि प्राप्त किया

 19/02/15

सत्यजीत यादव

हस्ताक्षर जप्तीकर्ता
अधिकारी

 19/2/15

निरीक्षक
(र.डी.देवसर्गौ) 19/2/15